



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2010/श्रावण 18, 1932

No. 440]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2010/SHRAVANA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 662(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (ज क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; नामतः :—

1. (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में :—
 - (i) नियम 2 में, खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः :—
“(घक) “सार्वजनिक क्षेत्रक कम्पनी” का अर्थ संसद या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा गठित निर्गमित निकाय है और इसमें सरकारी कम्पनी शामिल है;”
 - (ii) नियम 19 में,—
(क) उप-नियम (2) में
(क) खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (ii) में
(I) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः :—
“आगे यह भी शर्त है कि उप-खण्ड (ii) में संदर्भित कम्पनी, अपनी सार्वजनिक शोयरधारिता को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग से, प्रतिभूतियों के सूचीयन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अंदर कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी।”
(II) तीसरा परंतुक हटा दिया जाएगा।
(ख) खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा नामतः :—
“(ग) खण्ड (ख) में कुछ भी निहित होने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्रक कम्पनी जनता को पेशकश दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक श्रेणी या किस्म के कम से कम दस प्रतिशत इक्विटी शोयर्स या इक्विटी शोयर्स में परिवर्तनीय डिबेंचर्स की पेशकश और आवंटन करेगी।”

(ख) उप-नियम (6क) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः-

“(6क) इन नियमों में यथा उपबंधित या उप-नियम (7) के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा यथा अनुमत के सिवाय इन नियमों द्वारा निर्धारित सूचीयन के संबंध में सभी अपेक्षाएं, जहां तक वे हो सकें, सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी पर भी लागू होंगी।”

(iii) नियम 19क के लिए -

(क) उप-नियम (1) में :-

(क) शब्दों “प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी” के बाद और शब्दों “सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखेगी” के पहले कोष्ठक और शब्दों “(सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी से भिन्न)” को अंतर्विष्ट किया जाएगा,”

(ख) मौजूदा परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा नामतः-

“बशर्ते कि कोई भी सूचीबद्ध कंपनी जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता प्रतिभूति संविदाएं (विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2010 के प्रारंभण के समय पच्चीस प्रतिशत से कम हो, अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता ऐसे प्रारंभण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अंदर कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग से बढ़ाएगी।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कंपनी जिसकी प्रतिभूतियां नियम 19 के उपनियम (2) में खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसार जनता के लिए की गई पेशकश और आबंटन के अनुसरण में सूचीबद्ध की गई हों, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत की सार्वजनिक शेयरधारिता को उस तिथि से बनाए रखेगी जिस तिथि को कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता उक्त उप-खंड के अनुसार पच्चीस प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाए।”

(ख) उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः -

“(3) इस नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम दस प्रतिशत पर बनाए रखेगी :

बशर्ते कि कोई सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी -

(क) जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियमावली 2010 के प्रारंभण की तिथि को दस प्रतिशत से कम हो, अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को ऐसे प्रारंभण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अंदर कम से कम दस प्रतिशत तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग से बढ़ाएगी;

(ख) जिसकी सार्वजनिक शेरधारिता प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियमावली 2010 के प्रारंभण की तिथि के बाद दस प्रतिशत से नीचे गिर जाए, अपनी सार्वजनिक शेरधारिता को ऐसी गिरावट की तिथि से बारह महीनों की अवधि के अंदर कम से कम दस प्रतिशत तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग से बढ़ाएगी,"

[फा. सं. 5/35/2006-सीएम]

बिमल जुल्का, महानिदेशक (मुद्रा) एवं अपर सचिव

टिप्पणी : प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 दिनांक 21.2.1957 में, पृष्ठ संख्या 619 पर एसआरओ संख्या 576 दिनांक 21 फरवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित हुई और तत्पश्चात 22.7.1967 से भारत के राजपत्र-I, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 14.7.1967 की संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 1096, दिनांक 10.6.1972 से पृष्ठ 1556 पर भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 3.6.1972 के सा.का.नि. 685, 12.8.1972 से एसआर 959 के, सा.का.नि. दिनांक 8.8.1972, 8.11.1975 से 1.11.1975 के सा.का.नि. 2641, 23.11.1985 से दिनांक 11.11.1985 के सा.का.नि. 1083, दिनांक 15.11.1988 के सा.का.नि. 1070 (अ), दिनांक 20.7.1987 के सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 13.11.1992 के सा.का.नि.870 (अ), 20.9.1993 से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 20.9.1993 के सा.का.नि. 617(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 12.10.1994 के सा.का.नि. 749 (अ), 9.3.1995 से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 9.3.1995 के सा.का.नि. 121 (अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 27.3.1995 के सा.का.नि. 291 (अ), 23.12.1996 से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 23.12.1996 के सा.का.नि. 581 (अ), 8.8.2000 से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 8.8.2000 के सा.का.नि. 654, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 8.8.2000 के सा.का.नि. 655 (अ), 7.6.2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 7.6.2001 के सा.का.नि. 415 (अ), 28.8.2003 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 28.8.2003 के सा.का.नि. 696 (अ), दिनांक 10.6.2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित दिनांक 10.06.2009 के सा. का.नि. 395(अ) दिनांक 10.06.2009 तथा दिनांक 04.06.2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का. अ. दिनांक 4.6.2010 की संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2010

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ha) of sub-section (2) of section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2010.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957,—

- (i) in rule 2, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

“(da) “public sector company” means a body corporate constituted by an Act of Parliament or any State Legislature and includes a government company;”

- (ii) in rule 19, —
(a) in sub-rule (2),

- (A) in clause (b), in sub-clause (ii),—

- (I) for the second proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided further that the company, referred to in sub-clause (ii), shall increase its public shareholding to at least twenty five per cent. within a period of three years from the date of listing of the securities, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India.”

- (II) the third proviso shall be omitted;

(B) after clause (b), the following shall be inserted, namely:-

“(c) Notwithstanding anything contained in clause (b), a public sector company, shall offer and allot at least ten per cent. of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares to public in terms of an offer document.”

(b) for sub-rule (6A), the following shall be substituted, namely:-

“(6A) Except as otherwise provided in these rules or permitted by the Securities and Exchange Board of India under sub-rule (7), all requirements with respect to listing prescribed by these rules shall, so far as they may be, also apply to a public sector company.”

(iii) for rule 19A,-

(a) in sub-rule (1), -

(A) after the words “Every listed company” and before the words “shall maintain public shareholding” the bracket and words “(other than public sector company)” shall be inserted;

(B) for the existing provisos, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that any listed company which has public shareholding below twenty five per cent. on the commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2010, shall increase its public shareholding to at least twenty five per cent. within a period of three years from the date of such commencement, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, a company whose securities has been listed pursuant to an offer and allotment made to public in terms of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (2) of rule 19, shall maintain minimum twenty five per cent. public shareholding from the date on which the public shareholding in the company reaches the level of twenty five percent in terms of said sub-clause.”

(b) after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in this rule, every listed public sector company shall maintain public shareholding of at least ten per cent.:

Provided that a listed public sector company-

(a) which has public shareholding below ten per cent. on the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2010 shall increase its public

3110GI/10-2

shareholding to at least ten per cent. in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India , within a period of three years from the date of such commencement ;

(b) whose public shareholding reduces below ten per cent. after the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) (Second Amendment) Rules, 2010 shall increase its public shareholding to at least ten per cent. in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India , within a period of twelve months from the date of such reduction.”

[F. No. 5/35/2006-CM]

BIMAL JULKA, Director General (Currency) & Addl. Secy.

Note: Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, page 619, dated 21.2.1957 vide SRO No. 576 dated the 21st of February, 1957 and was subsequently amended by the amendment Notification ---GSR 1096, dated 14.7.1967 published in the Gazette of India I, Part II, section 3, sub-section (i), w.e.f. 22.7.1967, G.S.R 685, dated 3.6.1972 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) w.e.f. 10.6.1972, page 1556, G.S.R. to S.R. 959, dated 8.8.1972, w.e.f 12.8.1972, G.S.R. 2641, dated 1.11.1975 w.e.f. 8.11.1975, G.S.R 1083 dated 11.11.1985, w.e.f. 23.11.1985, GSR 1070 (E) dated 15.11.1988, GSR 666 (E) dated 20.7.1987, G.S.R. 870 (E) dated 13.11.1992, G.S.R. 617 (E) dated 20.9.1993 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) w.e.f. 20.9.1993, G.S.R. 749 (E) dated 12.10.1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), GSR 790 (E), dated 7.11.1994, GSR 121 (E) dated 9.3.1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) w.e.f. 9.3.1995, G.S.R 291 (E), dated 27.3.1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. 581(E) dated 23.12.1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) w.e.f 23.12.1996, G.S.R. 654 (E) dated 8.8.2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), G.S.R. 655 (E), dated 8.8.2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), GSR 415 (E) dated 7.6.2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 7.6.2001, G.S.R. 696 (E), dated 28.8.2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 28.8.2003 , G.S.R. 395 (E), dated 10.06.2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 10.06.2009 and G.S.R. ---- (E), dated 04.06.2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated 04.06.2010.